

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक / 6531 / एस.डब्ल्यू. / कोविड-19 / 2020

सिवनी, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

जिला सिवनी अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से स्थापित अन्तरराज्यीय एवं अन्तर्जिला चैक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से स्थापित किए गए समस्त चैक पोस्ट तत्काल प्रभाव निष्क्रिय किए जाते हैं।

उक्त चैक पोस्ट पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को उपरोक्त दायित्व से मुक्त किया जाता है। सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी अपनी उपस्थित मूल पदस्थ संस्था पर देवें व अपने मूल दायित्वों का निर्वहन करें।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जिला दण्डाधिकारी महो. द्वारा आदेशित)

अति. जिला दण्डाधिकारी,
जिला-सिवनी

सिवनी, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

पृ.क्रमांक / 6531A / एस.डब्ल्यू. / कोविड-19 / 2020
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, सिवनी,
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी
4. अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सिवनी
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी
7. जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी
8. सर्व सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला सिवनी
9. सर्व सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व सम्बंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अति. जिला दण्डाधिकारी,
जिला-सिवनी